

फर्द अहकाम




न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

गुल्ली

बनाम

~~सुरेन्द्र चौरा~~  
शिशोरी लाल वर्मा

मुकदमा . नं० 100/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23.07.2024	<p>वादी के अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। पत्रावली अवलोकन सहित दर्ज रजिस्टर होकर तलबी रजिस्टर्ड ए0डी0 द्वारा प्रतिवादीगणों को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 08.08.2024 को पेश हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला-जयपुर</p>	
8/9/24		<p>पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण प्रतिवादीगण की तलबी शर्तों के अनुसार शर्तों के माध्यम से पेश की पत्रावली दिनांक 2/9/24 को पेश हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला-जयपुर</p>	
21/9/24		<p>पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण उद्योग प्रतिवादीगण की तलबी शर्तों के माध्यम से पेश की पत्रावली दिनांक 10/10/24 को पेश हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला-जयपुर</p>	
26/9/24		<p>पत्रावली के वादी ने परिशिष्ट अधिनियम अन्तर्गत विधि के तहत पेश की पत्रावली तलबी की शर्तों वकील वादी के वादी ने निवेदन किया।</p>	<p>गुल्ली देवी</p> <p>12047123 by me 26.9.24</p>

उपखण्ड अधिकारी जयपुर  
गुल्ली देवी वनाड किरौड़ी लाल  
उप नं० - 100/2024

किमा कि फलान कि पत्रकापन के राजीनामा  
के गण्ड ही मात्र वाड की मात्रे गरी  
चक्राना याद ही विज्ञा के पत्र का  
शाहिल फिल कि फल पत्रकापन  
का अवलोकन कि फल गण्ड। मात्र वाड  
का विज्ञा के पत्र स्वीकार कि फल पत्रका  
वाड का विज्ञा फल की अनुमति ही  
पानी ही नव्या वाड का विज्ञा कि फल  
पत्रका ही पत्रावली फिल शाहिल देकर  
नव्या कि फल ही नव्या वाड की  
शाहिल फिल ही

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर जिला-जयपुर